उत्तराखण्ड पुलिस अधिनियम, 2007
(यथा सं□ोधित अधिनियम संख्या 27, वर्श 2018)

अध्याय–आठ
पुलिस की जवाबदेही

धारा 63. पुलिस की जवाबदेही के लिए अतिरिक्त तंत्र–

वर्तमान तंत्रों और विभागीय प्राधिकारियों के कृत्यों, कर्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों के अतिरिक्त, पुलिस की जवाबदेही, इस अध्याय में वर्णित अतिरिक्त तंत्र के माध्यम से और अधिक सुनि ित की जायेगी।

धारा 64. राज्य एवं जिला पुलिस □ाकायत प्राधिकरण–

(1) राज्य सरकार धारा 71 में दिये गये कृत्यों के निर्वहन के लिए एक राज्य पुलिस ि ाकायत प्राधिकरण (जिसे एतद्प चात प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करेगी,

जिसमें एक अध्यक्ष तथा अधिकतम चार अन्य सदस्य होंगें।

(2) (क) राज्य में राजस्व पुलिस व्यवस्था एवं रेगुलर पुलिस व्यवस्था प्रचलित होने को दृश्टिगत रखते हुए कुमाऊॅ मण्डल के जिलों के लिए जिला नैनीताल के हल्द्वानी में जिला पुलिस ि ाकायत प्राधिकरण गठित की जायेगी। इस प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार कुमाऊॅ मण्डल के समस्त जिलों अर्थात नैनीताल, उधम सिंह नगर, अल्मोडा, बागे वर, चम्पावत एवं पिथौरागढ में होगा।

(ख) उक्त क्रम में ही गढवाल मण्डल के जिलों के लिए जिला देहरादून के देहरादून में भी जिला ि ाकायत प्राधिकरण गठित की जायेगी। इस प्राधिकरण का क्षेत्राधिकार गढवाल मण्डल के समस्त जिलों अर्थात देहरादून, हरिद्वार, पौडी, चमोली, रूद्रप्रयाग, टिहरी एवं उत्तरका ाी में होगा।

धारा 65. राज्य पुलिस □ाकायत प्राधिकरण की संरचना–

राज्य पुलिस ि ाकायत प्राधिकरण में एक अध्यक्ष एवं अधिकतम चार अन्य सदस्य होगें।

धारा 65क. जिला पुलिस □ाकायत प्राधिकरण की संरचना–

प्रत्येक जिला पुलिस ि ाकायत प्राधिकरण में एक अध्यक्ष एवं दो अन्य सदस्य होंगे।

धारा 66. राज्य/जिला पुलिस ि◌ाकायत प्राधिकरण की सदस्यों के लिये अपात्रता :

(1) कोई भी व्यक्ति राज्य/जिला पुलिस ि ाकायत प्राधिकरण का सदस्य होने के लिये पात्र नही होगा, यदि वह–

(क) भारत का नागरिक नही है;

(ख) उसकी आयु 70 वर्श से अधिक है;

(ग) किसी पुलिस, सैन्य अथवा सहबद्ध संगठन में कार्यरत है;

(घ) लोक सेवक के रूप में कार्य कर रहा है;

(ङ) किसी निर्वाचित पद पर कार्य कर रहा है, जिसमें सांसद अथवा विधायक या स्थानीय निकाय का सदस्य भी भाामिल है;

(च) किसी ऐसे संगठन का सदस्य है या किसी प्रकार से उससे सम्बद्ध है, जिसे विद्यमान विधि के अधीन विधि विरूद्ध घोशित कर दिया गया है;

(छ) किसी राजनैतिक दल का सदस्य अथवा पदाधिकारी है;

(ज) किसी अपराध के लिये दोशी ठहराया गया है और जिसके विरूद्व किसी विधि न्यायालय द्वारा आरोप लगाये गये हैं; अथवा

(झ) विकृत चित्त का है और उसे सक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा घोशित कर दिया गया है।

(2) नियुक्तिः (क) राज्य पुलिस ि ाकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष, मा0 उच्चतम न्यायालय/मा0

उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधी ा होंगे। राज्य पुलिस ि ाकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा उच्च न्यायालय के मा0 मुख्य न्यायाधी ा

द्वारा सुझाये गये सेवानिवृत्त न्यायाधी ाों के पैनल में से ही की जा सकेगी।

(ख) राज्य पुलिस ि ाकायत प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा, राज्य मानवाधिकार आयोग/लोकायुक्त/राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार किये गये नामों के पैनल से की जायेगी तथा राज्य मानवाधिकार आयोग/ लोकायुक्त/ राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा सदस्यों के नामों का पैनल सेवानिवृत्त सिविल सर्वेन्टस/पुलिस अधिकारी/अन्य विभागों के सेवानिवृत्त अधिकारी तथा सिविल सोसाईटी में से तैयार की जायेगी।

(3) (क) जिला पुलिस ि ाकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष के पद पर सेवानिवृत्त जिला जज को

नियुक्ति किया जायेगा तथा जिला पुलिस ि ाकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा मा0 उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधी ा अथवा उनके द्वारा नामित मा0 उच्च न्यायालय के मा0 न्यायाधी ा के सुझाये गये नामों के पैनल में से की जा सकेगी।

(ख) जिला पुलिस ि ाकायत प्राधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा राज्य मानवाधिकार आयोग/लोकायुक्त/राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार किये

गये नामों के पैनल में से की जायेगी तथा राज्य मानवाधिकार आयोग/ लोकायुक्त/राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा सदस्यों के चयन हेतु नामों के पैनल सेवानिवृत्त सिविल सर्वेन्ट्स/पुलिस अधिकारी/अन्य विभागों के सेवानिवृत्त अधिकारी तथा सिविल सोसाईटी से तैयार की जा सकेगी।

धारा 67. राज्य एवं जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि और सेवा भार्ते–

(1) किसी सदस्य और अध्यक्ष की पदावधि तीन वर्श होगी, जब तक कि वह–

(क) अपने कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसी समय त्यागपत्र नही देता, अथवा

(ख) उसे धारा 68 में उल्लिखित किसी कारण से उसके पद से न हटा दिया जाए।

(2) अध्यक्ष तथा सदस्य पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

(3) सदस्यों का पारिश्रमिक, भत्ते और अन्य सेवा भार्ते तथा निबंधन ऐसे होंगे, जो राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित किए जाएँ।

धारा 68. राज्य एवं जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों को पद से हटाया जाना–

राज्य एवं जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के अध्यक्ष अथवा किसी सदस्य को राज्यपाल के आदेश द्वारा, निम्नलिखित कारण से, उसके पद से हटाया जा सकेगा:–

(क) प्रमाणित अवचार अथवा दुर्व्यवहार;

(ख) प्राधिकरण के कर्तव्यों के पालन में निरन्तर उपेक्षा;

(ग) किसी ऐसी परिस्थिति का उत्पन्न होना, जिसके कारण कोई सदस्य धारा 66(1) के अधीन प्राधिकरण में नियुक्ति के लिये अपात्र हो जायेगा; या

(घ) किसी सदस्य द्वारा अपने पद के कर्तव्यों के अतिरिक्त अपने पद पर कार्य करते हुये कोई अन्य वैतनिक नियुक्ति प्राप्त करना।

धारा 69. राज्य एवं जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण के कर्मचारी–

(1) राज्य सरकार प्राधिकरण के सदस्यों के लिए कर्मचारियों की व्यवस्था करेगी।

(2) कर्मचारियों की संख्या राज्य सरकार द्वारा विहित की जायेगी।

(3) प्राधिकरण द्वारा कर्मचारियों का चयन ऐसी प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा, जो सरकार द्वारा विहित की गई है।

(4) कर्मचारियों का पारिश्रमिक तथा अन्य सेवा भार्ते और निबंधन समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जायेंगे।

(5) राज्य/जिला पुलिस शिकायत प्राधिकरण में field inquiries के लिए सीआईडी/ इंटेलीजेन्स/विजिलेन्स एवं अन्य जांच एजेसिंयों से सेवानिवृत्त अधिकारियों को

आव यकतानुसार सहयुक्त किया जा सकेगा।

धारा 70. कार्य संचालन–

राज्य पुलिस ि ाकायत प्राधिकरण अपने तथा जिला पुलिस ि ाकायत प्राधिकरण के

कार्य संचालन के लिये, राज्य सरकार के अनुमोदन से स्वयं नियम बनायेगा।

धारा 71. राज्य पुलिस ि ाकायत प्राधिकरण के कृत्य–

(1) (क) राज्य पुलिस ि ाकायत प्राधिकरण, अपर पुलिस अधीक्षक एवं उससे उच्च स्तर

के पुलिस अधिकारियों के विरूद्ध ि ाकायतों पर जांच करेगा।

(ख) प्राधिकरण, उसके द्वारा सीधे प्राप्त अवचार की ि ाकायतें, आगे कार्यवाही के लिये राज्य सरकार के गृह विभाग को अग्रसारित करेगा।

(ग) प्राधिकरण पुलिस कार्मिकों के विरूद्ध 'गम्भीर अवचार' की ि ाकायतें प्राप्त होने

पर आरोपी की जांच कर सकेगा।

स्पश्टीकरणः इस अध्याय हेतु ''गम्भीर अपचार'' से किसी पुलिस अधिकारी का कोई ऐसा कार्य अभिप्रेत है जिसके कारण–

(एक) पुलिस हिरासत में मृत्यु;

(दो) गम्भीर चोट, जैसा कि भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 320 में परिभाशित है;

(तीन) बलात्कार अथवा बलात्कार का प्रयास;

(चार) विधि सम्यक प्रक्रिया के बिना गिरफ्तारी या निरोध,

(पांच) मानवाधिकार का उल्लघंन; या

(छः) भ्रश्टाचार; के आरोप लगाये जा सकेंगे।

(घ) प्राधिकरण, राज्य सरकार या पुलिस महानिदे ाक द्वारा उसको निर्दिश्ट, किसी अन्य मामलों की भी जांच कर सकता है, यदि प्राधिकरण की राय में मामला स्वतंत्र जांच के योग्य है;

(ङ) प्राधिकरण, राज्य सरकार के गृह विभाग से समय–समय पर प्राप्त तिमाही रिपोर्ट के माध्यम से, पुलिस विभाग के राजपत्रित अधिकारियों के विरूद्ध अवचार की ि ाकायतों पर विभागीय कार्यवाही अथवा विभागीय जांचों की प्रास्थिति का अनुश्रवण कर सकेगा तथा ऐसे मामलों में कार्यवाही पूरी करने के लिये राज्य सरकार को समुचित पराम र्ा दे सकेगा;

(च) प्राधिकरण, किसी ि ाकायतकर्ता के द्वारा की गयी ''अवचार'' की ि ाकायत, जिसे पूर्व में परिभाशित किया गया है, की किसी पुलिस अधिकारी द्वारा की जा रही विभागीय जांच की प्रक्रिया में अनुचित विलम्ब होने या उसके परिणाम से असन्तुश्ट होने के किसी मामले के संज्ञान में आने पर, भाासन से रिपोर्ट मांग

सकेगा, आगे की कार्यवाही के लिये समुचित पराम र्ा जारी कर सकता है अथवा

किसी अन्य अधिकारी द्वारा नये सिरे से पुनः जांच कराने के लिये निदे ा जारी कर सकेगा।

(छ) प्राधिकरण, पुलिस कार्मिकों के अवचार के कृत्य को रोकने के लिये, राज्य पुलिस के लिये सामान्य मार्ग निर्दे ा सुझा सकेगा।

जिला पुलिस िकायत प्राधिकरण के कृत्यः (2) (क) जिला पुलिस ि ाकायत प्राधिकरण,

पुलिस उपाधीक्षक एवं उससे निम्न स्तर के पुलिस अधिकारियों/कार्मिकों के विरूद्ध ि ाकायतों पर जांच करेगी।

(ख) जिला पुलिस ि ाकायत प्राधिकरण गम्भीर कदाचार, जो पुलिस अभिरक्षा में मृत्यु,

गम्भीर चोट अथवा बलात्कार के प्रकरणों के अतिरिक्त पुलिस कर्मियों द्वारा जबरन वसूली, भूमि एवं भवनों पर अवैध कब्जे आदि तथा अन्य गम्भीर घटनाओं, जिसमें पद का दुरूपयोग परिलक्षित हो की जांच करेगी तथा विभागीय/आपराधिक कार्यवाही की संस्तुति करेगी।

धारा 72. राज्य एवं जिला पुलिस िकायत प्राधिकरण की भाक्तियां–

(1) राज्य एवं जिला पुलिस ि ाकायत प्राधिकरण, विधिक वि ोशाधिकार के अधीन, ऐसे

बिन्दुओं या मामलों पर किसी व्यक्ति से सूचना प्रदान करने की अपेक्षा करने के लिये अधिकृत होगा, जो प्राधिकरण की राय में जांच के विशय में उपयोगी अथवा संगत हो सकती है और ऐसा व्यक्ति जिससे ऐसी अपेक्षा की गई है, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 176 और 177 के अर्थान्तर्गत ऐसी सूचना प्रदान करने के लिये बाध्यकारी होगा।

(2) राज्य एवं जिला पुलिस ि ाकायत प्राधिकरण को इस अध्याय के अन्तर्गत, अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिये सिविल न्यायाल की भाक्तियां होंगी।

(3) ऐसे मामलों में, जिनमें राज्य/जिला पुलिस ि ाकायत प्राधिकरण द्वारा सीधे जांच की जा रही हो, प्राधिकरण जांच पूर्ण होने पर अपने निश्कर्श से राज्य सरकार को सूचित कर सकेगी। उपरोक्त गठित राज्य/जिला पुलिस ि ाकायत प्राधिकरण द्वारा

किसी अपचारी पुलिस कार्मिक के विरूद्ध अनु ाासनात्मक कार्यवाही के अनु ांसा के

क्रम में अपचारी पुलिस कार्मिक के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उसे नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्तों के अनुसार सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए नोटिस देकर विधि के अनुसार कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा सम्पादित की जायेगी। यदि राज्य पुलिस ि ाकायत प्राधिकरण द्वारा किसी अपचारी पुलिस कार्मिक के विरूद्ध अनु ाासनात्मक कार्यवाही की अनु ांसा की जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में

सम्बन्धित अपचारी कार्मिक द्वारा उसे भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक अधिकारों के अनुसार सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी।

धारा 73. राज्य/जिला पुलिस ि◌ाकायत प्राधिकरण की रिपोर्ट–

(1) राज्य पुलिस ि ाकायत प्राधिकरण, प्रत्येक कलेण्डर वर्श की समाप्ति पर, समेकित रूप से, एक वार्शिक रिपोर्ट तैयार करेगा, जिसमें अन्य बातों के अतिरिक्त निम्नलिखित का समावे ा होगा–

(क) ''गम्भीर अवचार'' के मामलों की संख्या और प्रकार, जिनकी उनके द्वारा जांच की गयी;

(ख) ''गम्भीर अवचार'' के मामलों की संख्या और प्रकार, जो उसे ि ाकायतकर्ता द्वारा ि ाकायत की विभागीय जांच से असन्तुश्ट होने पर संदर्भित किये गये;

(ग) उपरोक्त (ख) में निर्दिश्ट मामलों सहित ऐसे मामलों की संख्या और प्रकार जिनमें उसके द्वारा पुलिस को आगे की कार्यवाही के लिये पराम र्ा और निदे ा दिया गया;

(घ) राज्य में पुलिस कार्मिकों के द्वारा किये गये अवचार का स्वरूप जिन्हें चिन्हित किया गया है, और

(ङ) पुलिस की जवाबदेही बढाने के उपायों से सम्बन्धित सिफारि ें।

(2) प्राधिकरण की वार्शिक रिपोर्ट, राज्य के विधानसभा के समक्ष रखी जाएगी। रिपोर्ट एक सार्वजनिक दस्तावेज होगा, जो जनता को उपलब्ध होगा।

(3) प्राधिकरण, उन वि ोश मामलों के सम्बंध में, जिनकी उसके द्वारा सीधे जांच की गयी,

वि ोश रिपोर्ट भी तैयार कर सकता है। वे रिपोर्टे भी जनता को उपलब्ध करायी जाएँगी।

धारा 74. ि◌ाकायकर्ता के अधिकार–

(1) कोई भी व्यक्ति पुलिस कार्मिकों के किसी ''अवचार'' अथवा ''गम्भीर अवचार'' से सम्बंधित ि ाकायत सम्बंधित प्राधिकरण में दर्ज करा सकेगा।

परन्तु यह कि प्राधिकरण द्वारा कोई ि ाकायत स्वीकार नही की जायेगी, यदि विधि द्वारा स्थापित किसी अन्य प्राधिकरण अथवा किसी न्यायालय द्वारा उस ि ाकायत की विशयवस्तु की जांच की जा रही है।

(2) उन मामलों में, जहॉ किसी व्यक्ति द्वारा पुलिस प्राधिकारियों से ि ाकायत की गयी है, वह विभागीय जॉच की किसी अवस्था में, जॉच प्रक्रिया में अनुचित विलम्ब के विशय में सम्बंधित प्राधिकरण को सूचित कर सकता है।

(3) ि ाकायतकर्ता को, जॉच प्राधिकारी (सम्बंधित पुलिस प्राधिकरण या प्राधिकरण) द्वारा

जॉच की प्रगति के सम्बंध में समय–समय पर सूचित किए जाने का अधिकार होगा। जॉच अथवा विभागीय कार्यवाही के पूर्ण होने पर ि ाकायकर्ता को उसके

निश्कर्शो के सम्बंध में यथा ाीघ्र सूचित किया जाएगा।

धारा 75. सदभावपूर्वक किये गये कार्य के प्रति संरक्षण–

राज्य सरकार, राज्य पुलिस बोर्ड, उसके सदस्य और कर्मचारी, पुलिस ि ाकायत प्राधिकरण, उसके सदस्य और कर्मचारी या बोर्ड अथवा प्राधिकरण के निदे ा के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के विरूद्ध, इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गयी या इस आ ाय के की जाने वाली किसी बात के सम्बन्ध में, कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

धारा 76. वित्त पोशण–

कृत्यों के दक्षतापूर्वक निश्पादन के लिए, राज्य के बजट के समुचित मुख्य भीर्श में पृथक संघटक, जैसा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए, प्रदान किया जायेगा।

————————————————————